

फर्द अहकाम

(नियम 13)

CCMS
2020/00016
07/01/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. विरेधा

हलका निंबलकोट

पुत्र श्री. दामा जाति. मधवालय

निवासी. पाखोली रोडकी हाथी

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 16/वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
10-7-2020	पटवारी हलका निंबलकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा निंबलकोट के खसरा नंबर 177 रकबा 200 वर्गफीट किस्म भूमि अलुवर पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29-7-2020 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
29-7-2020	पत्रावली माफ पेश हुई। गैर सायल व पटवारी इत्क इफालिह। गैर सायल के जावाब प्रस्तुत किया जा शामिल पत्रावली किया गैर सायल के एक और प्रवतर दिनांक जाकर पत्रावली दिनांक 13-8-2020 के पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	विरेधा प. निंबलकोट

13-8-2020


पत्रावली आज पेश हुई। गैर सफल
अनुपास्थित। पच्चीस हफ्ता अनुपास्थित।
पत्रावली दिनांक 26-8-2020 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली आज पेश हुई। गैर सफल
अनुपास्थित। पच्चीस हफ्ता अनुपास्थित।
गैर सफल को अतिक्रमण चैप्टर करते
हुए पत्रावली फेसल सुमार है।
निर्णय भलग इन लिखा जाकर शामिल
पत्रावली है। निर्णय खुले न्यायालय के
सुनाया जाय। पत्रावली फेसल सुमार
होकर डाखिल दफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर


प. न. ब. त. को. र.